फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

प्रभात बनाम मुरली वगै0

केस संख्या : रिव्यू प्रा.पत्र 6/2022

केस संख्या	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
	8/8/2022	पत्रावली आज दिनांक 8/8/2022 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा [illegible] की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/2022 को पेश हो।	
	23/8/2022	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उक्त पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/08/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	
	26/8/2022	पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने ऐसे कोई तथ्य या विधि पेश नहीं किया, जिससे साबित किया जा सके कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश विधि विरुद्ध है। अत: पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] होकर संलग्न मूल [illegible] हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 06 / 2022 निर्णय दिनांक 26.08.2022

प्रभात बनाम मुरली व अन्य

प्रार्थना पत्र बाबत् पुर्नवलोकन
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी.)

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उनवानी प्रकरण संख्या 59 / 2019 में प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 14(1) जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया गया था कि दो दस्तावेज पारिवारिक बंटवारा दिनांक 27.06.1977 जो पैतृक सम्पत्ति वाद ग्रस्त के बाबत सहमति से हुआ था तथा 2 प्रतिवादी मुरली द्वारा मान्य न्यायालय में बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसका निस्तारण हो चुका है रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में हैं, तथा सही निर्णय सहायक है। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2022 के अनुसार दस्तावेज पारिवारिक बंटवारा को यह कहते हुये रिकॉर्ड पर लिया कि व रजिस्टर्ड नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता। काश्ताकरी प्रावधानों के अनुसार सहखातेदारान एवं हिस्सेदारान में या सहमति पूर्वक विभाजन होता है तथा उसके अनुसार प्रार्थना की जाती है तो पारिवारिक बंटवारा महत्वपूर्ण एवं रिलेटिव दस्तावेज है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। भले ही अनरजिस्टर्ड है धारा 5 व 61 के अनुसार स्वीकृत दस्तावेज है जिसे रिकॉर्ड पर लेना न्यायहित मे है।

शीर्ष न्यायालयों द्वारा पारिवारिक बंटवारा (फेमिली [illegible]) को रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है ऐसा मत [illegible] 2001(1) [illegible] 68 राजस्थान उच्च न्यायालय एवं 2022(1) सिविल कोर्ट एस.सी. 236 में यह निश्चित किया गया है कि पारिवारिक बंटवारा पंजीयन व स्टाम्प होना आवश्यक नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मान्य न्यायालय द्वारा विधि के निर्णयों जो शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित किये गये है उन्हें नजरअन्दाज किया है जो विधिक त्रुटि प्रत्यक्ष रूप से आदेश भी किसी विनिश्चय का हवाला नहीं दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया ने सिविल अपील संख्या 6141/2021 दिनांक 01.10.2021 को पारिवारिक समझौते बाबत निर्णय पारित किया है। अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 में प्रत्यक्ष रूप से निर्णय में त्रुटि हुई है जिसे पुनः आदेश पारित कर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि पारिवारिक बंटवारा कभी सहमति दिनांक 27.06.1977 को सहमति से नहीं हुआ। उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है एवं ऐसा दस्तावेज कानूनन साक्ष्य में ग्रहय नहीं होने से रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं होने से रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुये ही आदेश पारित किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा सिविल अपील का उल्लेख किया है व उक्त आदेश पर लागू नहीं होता अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में जारी आदेश पत्रावली के पूर्ण अवलोकन पश्चात ही आदेश पारित किये गये थे, प्रार्थी ने ऐसे कोई तथ्य या विधि पेश नहीं किया जिससे साबित किया जा सके कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश विधि विरूद्व हो। अतः इस स्तर पर पुनर्विलोकन प्रार्थना अस्वीकार होने से प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा [illegible] किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर